न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 487/2018

सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला—जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. सूणीलाल पुत्र स्व0 श्री गंगाराम, जाति—जाट, निवासी—हरमाडा, तहसील—आमेर, जिला जयपुर।
2. कानाराम पुत्र स्व0 श्री गंगाराम, जाति—जाट, निवासी—हरमाडा, तहसील—आमेर, जिला जयपुर।
3. गोपीराम पुत्र स्व0 श्री गंगाराम, जाति—जाट, निवासी—हरमाडा, तहसील—आमेर, जिला जयपुर।
4. लल्लूराम पुत्र स्व0 श्री गंगाराम, जाति—जाट, निवासी—हरमाडा, तहसील—आमेर, जिला जयपुर।
5. प्रभाती पत्नी स्व0 श्री गंगाराम, जाति—जाट, निवासी—हरमाडा, तहसील—आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भूं—राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितिः—

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक उपस्थित।
2. श्री एस.एस.सुण्डा, अभिभाषक, अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 16.07.2021**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, आमेर द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010—23 ग्राम नांगल सिरस की भूमि ख0नं0 146/4, 145/1, 175, 163, 178 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 9 विस्वा का अंकन माफी मंदिर श्री द्वारकाधीश जी के नाम से दर्ज थी। जिसके वर्तमान मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2046—65 के अनुसार नवीन ख0नं0 259, 282, 340, 367, 375 कुल किता 5 कुल रकबा 2.68 हे0 है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम से अंकित है। तहसीलदार, आमेर द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत करने पर न्यायालय अति. कलक्टर, (तृतीय), जयपुर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सं0 243/2008 उनवानी सरकार बनाम सुणीलाल में दिनांक 04.11.2009 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज भूमि की खातेदारी हटायी जा कर वापस माफी मंदिर श्री द्वारकाधीश जी के नाम से खातेदारी में दर्ज करने व उसके पश्चात् किये गये इन्द्राज को निरस्त करने के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेन्स किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा उक्त रेफरेन्स को निर्णय दिनांक 26.07.2012 द्वारा प्रति प्रेषित करते हुए यह निर्देशित किया कि प्रकरण में राजस्व रिकार्ड एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 के परिपेक्ष्य में विस्तृत जांच की जावें, यदि बाद जांच प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाया जावें तो नियमानुसार पुनः स्पष्ट अभिमत के साथ रेफरेन्स प्रेषित किया जावें।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी की गई

तथा तहसीलदार, आमेर से प्रकरण के संबंध में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया किया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा मिलान क्षेत्रफल ग्राम नांगलसिरस के हाल ख0नं0 के साबिक ख0नं0 146/4, 145/1, 175, 163, 178 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–23 की कॉलम सं0 3 में माफी मंदिर श्री द्वारकाधीश जी का नाम अंकित है तथा कॉलम सं0 4 में खातेदार डोंगा वल्द जीवण कौम जाट साकिन देह दर्ज है। अप्रार्थीगण डोंगा वल्द जीवण के वारिसान है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2007/44 दिनांक 24.05.2007 में माफी मंदिर के बारे में बिन्दु सं0 5 में स्पष्ट किया गया है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि को किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी। उक्त भूमियों को पुनः मंदिर माफी के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नही है। वाद्रगस्त भूमि जागीर भूमि मंदिर द्वारकाधीश जी के संबंध में जागीर कमीश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा अवार्ड पारित किया जा कर जागीर नांगल सिरस, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर ठिकाना मंदिर द्वारकाधीश जी जेर सौराष्ट्र राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन एफ. 1 (403) राजस्व/ए/56 दिनांक 30.10.1956 के तहत दिनांक 01.11.1956 से पुर्नग्रहण की गई थी। राज्य सरकार के परिपत्र एवं जागीर कमिश्नर के नोटिफिकेशन के अनुसार वादग्रस्त भूमि रेफरेन्स योग्य नही है। अतः यदि वादग्रस्त भूमि का विचाराधीन प्रकरण खारिज किया जा कर अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय पारित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उनेक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर, जिला–जयपुर में स्थित आराजी ख0नं0 146/4, 145/1, 175, 163, 178 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल बन्दोबस्त में नवीन ख0नं0 259, 282, 340, 367, 375 कुल किता 5 कुल रकबा 2.68 हे0 भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व माफी मंदिर श्री द्वारकाधीश की मिल्कियत में दर्ज थी। डोंगा वल्द जीवण जाति–जाट उक्त भूमि के खातेदार, काश्तकार थे और डोंगा वल्द जीवण के नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज थी।

जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–23 के कॉलम सं0 3 में जहां मातमीदार का नाम दर्ज था, उस कॉलम में अब माफी मंदिर श्री द्वारकाधीश के स्थान पर राजस्थान सरकार का नाम अंकित किया गया है। राजस्व रिकार्ड के कॉलम नं0 4 में डोंगा वल्द जीवण का नाम पहले भी खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था और उसके पश्चात् भी खातेदार कृषक के रूप में ही नाम दर्ज रखा गया है, इस प्रकार राजस्व भू–अभिलेखों में खातेदार के कॉलम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया ही नही गया है। विवादग्रस्त भूमि के स्वामित्व को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही किया गया है। विवादग्रस्त भूमि का स्वामित्व पूर्व में भी माफी मंदिर श्री द्वारकाधीश के पास था और राजस्थान (भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण) अधिनियम, 1952 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के पश्चात् राजस्थान सरकार को प्राप्त हो गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि कभी मंदिर श्री द्वारकाधीश जी की खुदकाश्त भूमि नही थी। अतः मंदिर को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए। डोंगा वल्द जीवण खातेदार कृषक थे। अतः उनका नाम जागीर पुर्नग्रहण होने पर उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये और राजस्व अभिलेखों में उनका नाम पुर्वानुसार खातेदार कृषक के रूप में अंकित रहा।

डोंगा वल्द जीवण का स्वर्गवास हो जाने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण उनके उत्तराधिकारी के नाम उत्तराधिकारी होने के कारण तस्दीक किया गया और राजस्व भू–अधिनियम में उक्त सूणीलाल, कानाराम, गोपीराम,

लल्लूराम पुत्रान् श्री गंगाराम, प्रभाती देवी पत्नी स्व0 श्री गंगाराम का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज हो गया। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का नियमित रूप से कृषि कार्य हेतु उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है।

राजस्थान राज्य सरकार ने दिनांक 24.05.2007 का एक परिपत्र जारी कर यह निर्देशित किया है कि "जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम से दर्ज थी। उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमि को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नही है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। ऐसे परिपत्र के पश्चात् राज्य सरकार को प्रस्तुत रेफरेन्स को आगे चलाने का कोई अधिकार एवं औचित्य नही है।

सम्वत् 2010–23 की मिसाल बन्दोबस्त में ही खातेदार कृषक के रूप में डोंगा वल्द जीवण का नाम दर्ज है। यदि उसे अवैध इन्द्राज की संज्ञा दी जावें तो यह इन्द्राज 50 वर्ष से भी अधिक वर्ष पूर्व अकिंत किये गये है। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्तनीय है। विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :–

1. RRD 2000 Page No. 14
2. RLR 1985
3. RRD 2015 Page No. 556 Rajasthan High Court
4. RRD 1991
5. परिपत्र दिनांक 13.12.1991 (राज. सरकार)
6. परिपत्र दिनांक 24.05.2007 (राज. सरकार)
7. निर्णय दिनांक 23.04.2012 (माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर)
8. तहसीलदार, आमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2020/10198 दिनांक 16.12.2020

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया।

प्रकरण के अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि तहसीलदार, आमेर द्वारा ख0नं0 146/4, 145/1, 175, 163, 178 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल बन्दोबस्त में नवीन ख0नं0 259, 282, 340, 367, 375 कुल किता 5 कुल रकबा 2.68 हे0 का रेफरेन्स तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स अनुसार सम्वत् 2010–23 की मिसल बन्दोबस्त में वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर श्री द्वारकाधीश जी के नाम अंकित थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–23 में कॉलम नं0 3 में माफी मंदिर श्री द्वारकाधीश अंकित है एवं कॉलम नं0 4 में डोंगा वल्द जीवण कौम जाट साकिन देह अंकित है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर तहसीलदार, आमेर को माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.07.2012 की प्रति प्रेषित कर निर्णयानुसार विस्तृत जांच व स्पष्ट रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार, आमेर द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2020/10198 दिनांक 16.12.2020 प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–23 की कॉलम सं0 3 में माफी मंदिर श्री द्वारकाधीश जी का नाम अंकित है तथा कॉलम सं0 4 में खातेदार डोंगा वल्द जीवण कौम जाट साकिन देह दर्ज है। अप्रार्थीगण डोंगा वल्द जीवण के वारिसान है। तहसीलदार, आमेर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2007/44 दिनांक 24.05.2007 के अनुसार जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि को किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उन भूमियों को पुनः मंदिर माफी के नाम दर्ज

किया जाना विधि सम्मत नही है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 के अन्तर्गत प्रकरण रेफरेन्स योग्य नही बनने के कारण रेफरेन्स को अस्वीकार करने की रिपोर्ट प्रेषित की है। राजकीय अभिभाषक द्वारा भी दौराने बहस विचाराधीन प्रकरण खारिज किया जा कर अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना बताया है।

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग ने परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 24.05.2007 को जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी भूमि जो मंदिर माफी की थी के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी के नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेगे। जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत् नही है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों के नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय में वृहद पीठ द्वारा प्रकरण 2015 (2) आर.आर.टी.868 तारा बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जागीर/मंदिर माफी की भूमियों पर तत्कालीन जागीरदार द्वारा मंदिर माफी की भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा भूमि काश्त कराने पर भूमि राज्य हित में निहीत होगी, परन्तु जागीर पुर्नग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि पर यदि पुजारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही थी तो तत्कालीन कृषक का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोप्ति करने का अधिकार नही होगा और यदि जागीर भूमियों पर किसी कृषक का नाम विलोप्ति कर दिया गया है तो राजस्व रिकार्ड में ऐसी की गई सभी प्रवष्टियां आकृत व शून्य (Null & Void) मानी जायेगी।

हस्तगत प्रकरण में भी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–23 में वादग्रस्त भूमि के कॉलम नं0 4 में कृषक के कॉलम में डोंगा वल्द जीवण कौम जाट साकिन देह दर्ज था। अप्रार्थीगण डोंगा वल्द जीवण के वारिसान है तथा अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि जागीर अधिग्रहण के समय माफी मंदिर श्री द्वारकाधीश जी के नाम दर्ज है तथा कॉलम नं0 4 कृषक के कॉलम में डोंगा वल्द जीवण कौम जाट दर्ज रिकार्ड है। हस्तगत प्रकरण में माफी मंदिर खुदकाश्त होने के संबंध में तहसीलदार द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। तहसीलदार, आमेर द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2020/10198 दिनांक 16.12.2020 प्रेषित कर वादग्रस्त भूमि का प्रकरण रेफरेन्स योग्य नही होना अंकित किया है।

अतः उक्त उक्त विवचेनानुसार तहसीलदार, आमेर द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की खुदकाश्त भूमि नही होकर कृषक के नाम थी। माननीय उच्च न्यायालय में वृहद पीठ द्वारा प्रकरण 2015 (2) आर.आर.टी.868 तारा बनाम सरकार एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज–6/2007/14 जयपुर दिनांक 27.05.2007 एवं तहसीलदार, आमेर की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2020/10198 दिनांक 16.12.2020 के परिपेक्ष्य में इस हस्तगत रेफरेन्स प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही समझते है। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16-7-21

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर